न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 17/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 19.2.2024
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र मूल सिंह शर्मा निवासी खेल मैदान के पास माटून्दा तहसील व जिला बूंदी।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृति के संबध मे पारित आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एंव पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन सरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके क्रम मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाने से जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एंव न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नही है। रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के आदेश मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है जबकि अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलांट के विरूद्ध कोई भी प्रकरण दर्ज नही है। ना ही ऐसा कोई उल्लेख सबधित रिपोर्ट मे है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2023 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमानुसार नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एंव न्याय के सर्वथा विपरीत है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आदेश नही है। आदेश मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करना न्यायोचित नही है। अपीलांट को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का अदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनाा पत्र एंव स्वयं का शपथा पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप़ीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एव पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन सरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके क्रम मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नही करने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 से खारिज किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी का आदेश विधि एंव न्याय के सर्वथा विपरीत है। जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नही है। आदेश मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। स्पष्ट कारण अंकित किये बिना अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। बिना आधार के आवेदन पत्र को खारिज करना न्यायोचित नही है। अपीलांट को अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क के संबध मे जेरअपील आदेश एंव जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 3.8.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नही है। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी ने भी स्पष्ट कारण अंकित किये बिना आालौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2023 से अपीलांट के नवीन शस्त्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2023/445 दिनांक 17.1.2023 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलांट द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 14.6.2022 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा